'राहुल गांधी देश को जोड़ने निकले हैं, यात्रा में मिल रहे जनसमर्थन से भाजपा के नेता बौखला गए हैं'

अमित शाह के बयानों पर पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने किया कटाक्ष

जयपुर, (का.प्र.)। देश के गृहमंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे के दौरान दिए गए भाषण को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश के गृह मंत्री के दौरे से लोगों को बहुत आशा होती है, लेकिन अमित शाह अनर्गल बातें करते रहे और उन्होंने मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए गलतबयानी की है।

जयपुर में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से भाजपा नेताओं के बीच आपसी खींचतान मची हुई है, उससे भाजपा आलाकमान परेशान है। यही कारण है कि अमित शाह को खुद भाजपा के इन नेताओं को समझाने आना पड़ा है। इसी के साथ डोटासरा ने आरोप लगाया कि देश के गृहमंत्री ने वहां रखे गए एक कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने से मना करके शहीदों का अपमान किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से राहुल गांधी की टीशर्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई बात को लेकर डोटासरा ने कहा कि देश में मूल मुद्दे हैं, उन पर कभी भी भाजपा के नेता नहीं बोलते, उसी तरह अमित शाह ने भी उन मुद्दों से दूरी बनाए रखी। एक ओर राहुल गांधी आज देश को जोड़ने निकले हैं। इस यात्रा में मिल रहे जनसमर्थन से भाजपा के नेता बौखला गए हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। वहीं डोटासरा ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों पर कहा कि अमित शाह भूल गए हैं कि भाजपा शासित गुजरात, मध्य प्रदेश

- 'अमित शाह अनर्गल बातें करते रहे, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए गलतबयानी की'
- 'राहुल गांधी की टीशर्ट पर सवाल उठाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का 10 लाख का सूट भूल गए क्या?'

और उत्तर प्रदेश में राजस्थान से कहीं खराब कानून व्यवस्था की स्थिति है। यदि अमित शाह उस पर भी बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। इसी तरह प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी-शर्ट के हजारों रुपए की होने की बात कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 लाख रुपए के सूट को कोई भूला नहीं है। वह सूट कहां गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टी-शर्ट का भुगतान किसने किया, क्या कीमत थी। यह कोई कैसे बता सकता है। यह सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। इस तरह की टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, यह ओछी हरकत है। इसके साथ ही अमित शाह के राजस्थान दौरे पर उन्होंने कहा कि वे भारत के गृहमंत्री हैं। वे कहीं भी आ जा सकते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है।

मीणा ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। सरकार की फेल योजनाएं, डेमोक्रेसी को खत्म करने के प्रयास, सीबीआई व ईडी के दुरुपयोग सहित कई मुद्दों को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार हों या महाराष्ट्र में संजय रावत, राजस्थान में मंत्री खाचरियावास, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई और मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर भी जांच एजेंसियों को भेज दिया जाता है।

पहले पीएम मोदी आरोप लगाते थे कि सीबीआई कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। अब जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वह मोदी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हो गई हैं। विपक्षी दलों और कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हुए लोग हैं। उनके यहां पर छापे क्यों नहीं डाल रहे हैं।

शहर में बरसात के कारण पनपे मच्छरों की वजह से मलेरिया व डेंगू की बीमारी इस समय घर-घर में पांव पसार रही है। इससे बचाव के लिये नगर निगम जगह-जगह फोगिंग करवा रहा है। शनिवार को निगम कर्मचारियों ने शहर के बाहरी इलाकों में फोगिंग की।

केसेज में डिस्पोजल नहीं, डिसीजन करें कोर्ट : जस्टिस रस्तोगी

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी ने केसेज की पैंडेंसी को चुनौती मानते हुए कहा है कि निचली कोर्ट को मामलों में डिस्पोजल की बजाय डिसीजन करना चाहिए। कोर्ट का सही डिसीजन होगा तो उसकी अपीलें भी कम होंगी। उन्होंने कहा कि 1982 में वे अधिवक्ता बने तब भी पैंडेंसी को लेकर चर्चा होती थी और करीब 40 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं तब भी पेंडेंसी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन हमें केवल समस्याओं व चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ ही समाधान पर भी बात करनी चाहिए।

जस्टिस रस्तोगी ने यह विचार शनिवार को सांगानेर न्यायालय के रजत जयंती समारोह में वर्तमान न्याय व्यवस्था चुनौतियां व समाधान विषयक सेमीनार में रखे। उन्होंने कहा कि आज हम रजत जयंती समारोह मना रहे हैं और कुछ साल बाद स्वर्ण जयंती भी मनाएंगे, लेकिन उस दिन हमारा रोड मैप क्या रहेगा यह सोचना भी बेहद जरूरी है। वहीं हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव ने कहा कि कोर्ट में जितने केसेज पेंडिंग हैं उनमें से 60 फीसदी साधारण प्रकृति के हैं। इन केसेज को आपसी समझाइश व मध्यस्थता सहित अन्य वैकल्पिक तरीकों से हल किया जा सकता है, सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल, अनूप ढंड, उमाशंकर व्यास सहित अन्य न्यायिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे

जयपुर, (का.सं.)। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार ऐसे चयनित गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता संघों, संस्थानों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, व्यक्तियों आदि सहित सभी हितधारकों को दिया जाता है, जिन्होंने वर्षा जल द्वारा भूजल वृद्धि की नवीन प्रथाओं को अपनाकर जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण, जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना, पानी के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग और लक्षित क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी के माध्यम से जागरूकता पैदा करने आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।

चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक), सर्वश्रेष्ठ स्कूल, कैंपस उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ तथा सीएसआर गतिविधियों के लिए 11 श्रेणियां हैं।

जेडीए 12 साल पुरानी दर से करे भूखंड आवंटन

- अदालत ने जेडीसी से कहा कि वे उस समय निकाली गई योजनाओं के प्रभारी अधिकारी रहे अफसरों पर विभागीय कार्रवाई करें
- अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में परिवादी की कोई लापरवाही नहीं रही है और जेडीए की लापरवाही व सेवा दोष स्पष्ट तौर पर साबित है

जयपुर, (का.सं.)। महानगर की स्थाई लोक अदालत ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह परिवादी को अपनी आवासीय योजना में तीन माह के भीतर वर्ष 2010 में रही योजना की दर से भूखंड का आवंटन करे। इसके साथ ही जेडीसी उस समय निकाली गई योजनाओं के प्रभारी अधिकारी रहे अफसरों पर विभागीय कार्रवाई करे। स्थाई लोक अदालत ने यह आदेश ओमप्रकाश अग्रवाल के परिवाद पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में परिवादी की कोई लापरवाही नहीं रही है और जेडीए की लापरवाही व सेवा दोष स्पष्ट तौर पर साबित है। परिवादी ने जेडीए से कई बार खुद को अन्य आवासीय योजनाओं में समायोजित करने का आग्रह किया, लेकिन जेडीए ने ना तो भूखंड का आवंटन किया और ना ही उसे मांगपत्र जारी किया।

मामले के अनुसार, परिवादी ने जुलाई 2010 में जेडीए की अमृत कुंज आवासीय योजना में 25 हजार रुपए जमा करवाकर भूखंड आवंटित करने के लिए आवेदन किया था। इस दौरान 7 अक्टूबर 2010 को जेडीए ने आवंटन पत्र जारी करने के लिए चाहे गए सभी दस्तावेज भी परिवादी से प्राप्त कर लिए, लेकिन जेडीए ने उसे भूखंड आवंटित नहीं किया। मामला स्थाई लोक अदालत में पहुंचने पर जेडीए ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के आदेश से पहले अमृत कुंज योजना के पूरी राशि जमा करवा चुके 140 आवंटियों को पास की अन्य भूमि पर बसी दीनदयाल नगर प्रथम, योजना में 18 जनवरी 2019 को भूखंड आवंटित कर दिए थे। इस पर स्थाई लोक अदालत ने कहा कि परिवादी वर्ष 2010 से ही उसे मांग पत्र जारी करने और भूखंड आवंटित करने का आग्रह कर रहा है, लेकिन जेडीए ने जानबूझकर मांग पत्र जारी नहीं किया और इस गलती के लिए परिवादी को जिम्मेदार नहीं मान सकते। इसलिए जेडीए अन्य आवंटियों की तरह परिवादी को भी अन्य योजना में 2010 की दर के आधार पर तीन महीने में भूखंड आवंटित करे।

युवक से 50 हजार रुपये की ठगी

जयपुर। वैशाली नगर इलाके में एक युवक से ऑनलाइन ठगी हो गई। पुलिस ने बताया खातीपुरा निवासी पीड़ित मोहम्मद शोएब डायबिटीज केयर एंड जनरल हॉस्पिटल में काम करता है, जालसाज के झांसे में पीड़ित आ गया और ओटीपी बता दिया, जिसके बाद बैंक खाते से 50 हजार रुपये पार हो गए।

हवाई पट्टियों के विस्तार के लिये 37.75 करोड़ रुपए की मंजूरी

- राज्य की दस हवाई पट्टियों का होगा विस्तार

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की 10 हवाई पट्टियों के विस्तार एवं विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 37 करोड़ 75 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

गहलोत की मंजूरी से राज्य स्वामित्व वाली इन हवाई पट्टियों पर रनवे रीकारपैटिंग, बाउंड्री वॉल निर्माण, कंपाउंड वॉल निर्माण, हवाई पट्टी का नवीनीकरण सहित विभिन्न कार्य होंगे।

इनमें कोलाना (झालावाड़) हवाई पट्टी के लिए मेगा हाइवे एवं बुद्ध मण्डावर रोड शिफ्टिंग व बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 14 करोड़, आबू रोड (सिरोही) हवाई पट्टी की रनवे रीकारपैटिंग एवं बाउंड्री वॉल की ऊंचाई में वृद्धि के लिए 4 करोड़, फलौदी (जोधपुर) हवाई पट्टी के रनवे की रीकारपैटिंग के लिए 1.97 करोड़, तलवाड़ा (बांसवाड़ा) हवाई पट्टी की रनवे रीकारपैटिंग व एप्रोच रोड की मरम्मत एवं प्रतीक्षालय भवन के निर्माण के लिए 3.40 करोड़ रूपये की लागत से कार्य किए जाएंगे।

तीन लोगों के गले से चेन तोड़ी

जयपुर। जवाहर सर्किल, मालवीय नगर और बजाज नगर इलाके में बाइक सवार बदमाश एक महिला सहित तीन जनों की सोने की चेन तोड़ ले गए। पुलिस ने बताया जवाहर सर्किल इलाके में कान्हा रेस्टोरेंट के पास 9 सितंबर की रात बाइक सवार बदमाश विवेक विहार निवासी डालचंद कोली से मारपीट कर सोने की चेन तोड़ ले गए। मालवीय नगर इलाके स्थित विनोबा विहार में बदमाश 8 सितंबर की शाम घर के पास घूम रही प्रेमी देवी की सोने की चेन तोड़ ले गए। इधर, बजाज नगर इलाके में संजय जैन की सोने की चेन तोड़ ले गए।

कर्मयोगी पी.एन.भंडारी नियम में ना बंधने वाले और जमीन से जुड़े अधिकारी रहे हैं : सीएस

- सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भंडारी की पुस्तक ''मिटमेंट एंड क्रिएटिविटी'' पर हुई बुक टॉक

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पी.एन.भंडारी कर्मयोगी प्रशासक रहे और मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहती हूं। वे हमारे लिए सच्ची प्रेरणा के स्त्रोत और मेंटर रहे हैं। पी एन भंडारी ने पहली मुलाकात में कहा कि मुझे नियमों से एलर्जी है और काम से लगाव है तथा प्रशासक के तौर पर हमारा एंटीना इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि धरातल की समस्याओं को सटीक तरह से समझ सकें। भंडारी का यह कथन मुझे सदैव प्रेरित करता है। शर्मा आज शनिवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पी एन भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक ''मिटमेंट एंड क्रिएटिविटी'' आईएएस अधिकारी के संस्मरण पर आधारित बुक टॉक के मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी।

यह कार्यक्रम जयपुर स्थित एचसीएम रीपा के साथ आईएएस एसोसिएशन राजस्थान तथा एआईएस पेंशनर एसोसिएशन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान मेंआयोजित किया गया था। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ पदों पर कार्यरत रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पी एन भंडारी की पुस्तक पर उनके विचार से रूबरू हुए।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने पुस्तक के कुछ अंश पढ़े और कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भंडारी के साथ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि भंडारी ने राजस्थान में अनेक नवाचार किए, जैसे अकाल के दौरान पक्के निर्माण कार्यों पर बल देते हुए सीकर में 4 जार से अधिक कुएं खोदने, बैंकों द्वारा सीधे ही श्रमिकों को भुगतान करने, ऋण मेला आयोजित करने, भूमि अधिग्रहण, जनता दरबार लगाए जाने जैसे अनेक कार्य प्रदेश में प्रथम बार भंडारी द्वारा ही किए गए। देश में लागू इमरजेंसी को भी भंडारी ने अवसर के रूप में लिया और उस दौरान अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रशासक के रूप में लिखी गई उनकी यह पुस्तक, नव प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक भंडारी ने बताया कि उनकी पत्नी कौशल्या भंडारी गत 53 वर्षों से उनके कार्यकाल के दौरान छपे समाचारों को संकलित कर रखती थीं, जो इस पुस्तक के प्रकाशन का आधार बनीं।

बुक टॉक के दौरान अनेक दिलचस्प सवाल पूछे गए जिसके भंडारी ने अपने अनुभव और संस्मरण पर आधारित जवाब दिए। कार्यक्रम में महानिदेशक एचसीएम रीपा सुधांश पंत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड अजिताभ शर्मा,प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कुंजी लाल मीणा, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ समित शर्मा,पूर्व मुख्य सचिव इंद्रजीत खन्ना और अशोक जैन तथा अनेक भूतपूर्व सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा,पुलिस सेवा एवं वन विभाग के अधिकारी, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा सहित अनेक कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी मौजूद थे।

प्रिंसिपल के 20 फीसदी पदों को व्याख्याताओं से भरने पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के खाली चल रहे पदों में से बीस फीसदी पदों को पदोन्नित के जरिए स्कूल व्याख्याताओं से भरने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और कार्मिक सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश देवेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार मामले में जवाब पेश करने के बाद इस आदेश को संशोधित कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रिंसिपल के खाली चल रहे सौ फीसदी पदों को डीपीसी कर पदोन्नित के जरिए व्याख्याताओं से भरा जा रहा है। जबकि 25 मार्च 2015 के परिपत्र के तहत प्रिंसिपल के खाली पदों में से 67 फीसदी पद ही व्याख्याता से भरने का प्रावधान था, शेष 33 फीसदी पद हेडमास्टर से भरे जाने थे। वहीं राज्य सरकार ने 3 अगस्त 2021 को नए नियम लागू कर अस्सी फीसदी पद स्कूल व्याख्याता और बीस फीसदी पद हेडमास्टर से भरने जाने का प्रावधान किया गया है। याचिका में कहा गया कि शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2021 से पूर्व के प्रिंसिपल पदों को पदोन्नित के जरिए भरा जा रहा है। ऐसे में विभाग को मार्च 2015 के नियमों के तहत 33 फीसदी पद हैडमास्टर के जरिए भरने थे, लेकिन विभाग इस परिपत्र की अनदेखी कर सभी सौ फीसदी पदों को व्याख्याताओं से भर रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पदोन्नित के जरिए बीस फीसदी पदों को भरने से रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मोहम्मद इलियास चौधरी पुत्र स्व. श्री मोहम्मद मुमताज चौधरी निवासी प्लाट नम्बर बी-12/2 फतेह टीबा आदर्श नगर जयपुर को अपनी पत्नि श्रीमती जीनत चौधरी उर्फ श्रीमती जीनत जहाँ चौधरी से दिनांक 01.01.2003 को जुबानी हिबा से प्राप्त सम्पति जिसके सम्बन्धि में कबुलियतनामा दिनांक 04.11.2003 को लिखा है, का एक मात्र मालिक रहा। श्री मोहम्मद इलियास चौधरी ने दिनांक 01.01.2003 को जुबानी हिबा से प्राप्त सम्पति अपने दोनों पुत्रान मोहम्मद ईशत्याक चौधरी, श्री मोहम्मद इस्लाम चौधरी को दिनांक 01.04.2014 को जुबानी बक्शीश कर कब्जा दे दिया एवं जुबानी बक्शीश को दोनों पुत्रों ने दिनांक 01.04.2014 को ही स्वीकार कर ली थी। इसके सम्बन्ध में कबुलियतनामा मय नक्शा दिनांक 10.04.2014 को लिख दिया था। श्री मोहम्मद ईशत्याक चौधरी एवं श्री मोहम्मद इस्लाम चौधरी सम्पति के एक मात्र मालिक है।
जयपुर (फराज हुसैन) एडवोकेट
दिनांक-10.09.2022 मोबाईल नम्बर-9929797865

खोया पाया
मेरी दुकान व गोदाम जो कि मकान नं. 1431, बारह गणगौर का रास्ता में है उसके मूल कागजात कहीं खो गए है मिलने पर सूचित करें। जोगेन्द्र सिंह-6376640922

fincare Small Finance Bank
Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380006, Gujarat. **www.fincarebank.com**

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles as per below schedule.

Loan Account no	Name of the borrower	Auction Venue	Auction Date MM/DD/YYYY
21660000633351	MR. MUNAWWAR ALI	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, PLOT NO.5, SHAKTI NAGAR, TRIVENI CHOURAHA BYPASS, JAIPUR, RAJASTHAN, 302015	9/20/2022
21660000694195	GEETA		
21660000726837	HIMANSHU PODDAR		
21660000737226	NEELAM RAWAT		
21660000691641	TILESH RAWLANI	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, 386-SHOPPING CENTER, GHODE WALE BABA CROSS ROAD, BESIDE SANCHIT TOWER, GUMANPURA ROAD, KOTA, RAJASTHAN, 324007	9/20/2022
21660000691841	ANJUM BANO		
21660000705367			
21660000712163	MR. AUSHMAN SINGH KUSHWAH		
21660000722474	MR. RAJENDRA SINGH		
21660000739062	CHETAN JAIN		
21660000765292	TARANNUM KHANAM		
21660000758116	DINESH JANGID	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, CHOPARA HOUSE, 27A/80- ADARSH SOCIETY GATE NUMBER 3, NEAR ITI CIRCLE, JODHPUR, RAJASTHAN, 342001	9/20/2022
21660000490519	SUNIL CHHABRA	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, 16C, MANOHAR HEIGHTS, 1 MADHUBAN BANK STREET, OPPOSITE ICON TOWER, UDAIPUR, RAJASTHAN, 313001	9/20/2022
21660000693627	SURENDRA SINGH BHATI		
21660000701794	MR. RAJENDRA SINGH SHKTAWAT		
21660000717124	VIJAY SHARMA		
21660000751819	SURENDRA SINGH BHATI		
21660000346091	MR. RIDDHISH SINGH GURJAR	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; GROUND FLOOR, SHOP NO-2 & 3, A-235, GURU JEMBESHWAR NAGAR, GANDHIPATH, QUEENS ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN, 302021	9/20/2022
21660000368780	MR. NATHU LAL SONI		
21660000534538	MR. DEVRAJ CHOUDHARY		
21660000674803	PREETI CHANDRESH KUMAR MAKASANA		
21660000705587	SUNIL		
21660000728733	NARENDRA		
21660000739672	RAHUL KUMAR MEENA		
22660000086938	MR. GYAN CHAND JAIN		
21660000364897	PRATAP SINGH JI CHUNDAWAT	FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD; A/23 ,BAPU NAGAR, ROAD NO.13 SETHI, NEAR SBI BANK, CHITTAURGARH, RAJASTHAN, 312001	9/20/2022

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.